
ब्रिक्च्याय प्रणाली के चश्ण



हिशसत


<u>शिरफ्तरी</u>

शिरफ्तरी: अशर इस बात के उचित आाधार मौजूद हों कि आपने कोई अपराध किया है या करने वाले हैं तो आपको शिरफ्तार किया जा शकता है। आपको पुलिश श्टेशन ले जाया जाएगा। अगर मामला जमानतीय अपराघ का है तो पुलिस स्टेशन से ही आपको जमानत दी जा शकती हैं।

मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी


पेशी: आपको शिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस को आप को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत / पेश करना होगा। पुलिस द्वारा न्यायालय में जांच से संबंधित काशज पेश किये जाएंशे। अशर पुलिस अपनी जांच पूरी करने के लिए आपको कुछ और समय तक हिरासत में २खाना चाहती है तो इसके लिए पुलिस द्वारा अनुरोध किया जा शकता है। दश्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट आपको या तो पुलिस स्टेशन में वापस भेजेंशेध्भेजेंशी (पुलिस रिमांड) या आपको कारागार भेजेंशे / भेजेंशी (न्यायिक रिमांड) या फिर आप को जमानत देंशे / देंशी। पेशी के समय अपने अधिवक्ता को शाथ रखाना आपका अधिकार है, अगर आप इसके लिए सक्षम नहीं हैं तो विधिक सहायता के द्वारा

आपको अनिवार्यतः निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कशया जाना चाहिए।









जमानत

अभियोग

अभियोगः अभियोग, कथित तौर पर आपके द्वारा किये गए अपराध की औपचारिक सूचना है। अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभियोग पत्र का अवलोकन करने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोग निर्धारित किया जाएगा और इसे पढ़ कर अभियुक्त को शुनाया जाएगा। आपको तय करना होगा कि अभियोग पत्र में निर्धारित अपराध आपने किया है या नहीं किया है जिस स्थिति में तद्नुशार आप अपराध स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे।



00000

10000

दोषी


दोषिशिद्ध और दोषमुक्ति

दोषशिद्धि और दोषमुक्तिः विचारण पूरा होने के बाद न्यायालय द्वारा आपको या तो आरोपित अपराध/अपराधों का दोषी नहीं माना जाएगा और आपको दोषमुक्त किया जाएगा (आपको बरी किया जाएगा और मामले को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा); या आपको सिद्धदोष ठहराया जाएगा और दंडादेश दिया जापुगा।

विचारण

विचारणः अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार नहीं करता / कश्ती तो मामले को विचारण के लिए भेज दिया जाता है। विचारण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- शीआर. पी. शी. की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान
- मौरिवक और दस्तावेजी साक्ष्य
- अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें
- फैशला का शुनाया जाना





अपील

अपीलः अगर कोई पक्षकार, बरी किये जाने / सजा दिए जाने / शजा में कमी किये जाने के फैशले से व्यथित हो तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर फैंसले के खिलाफ अपील दाखिल कर सकताध्सकती है। अपील की सुनवाई जब तक विचाराधीन रहती है तब तक के लिए अपीली न्यायालय द्वारा दंडादेश के स्थान का आदेश दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको जमानत पर जेल से रिहा किया जा सकता है।





COMMONWEALTH HUMAN RIGHTS INITIATIVE

55 A, Third Floor, Siddhartha Chambers-1, Kalu Sarai, New Delhi - 110016 Tel: 91-11-43180200 Fax: 91-11-43180217 E-mail: info@humanrightsinitiative.org Website: www.humanrightsinitiative.org

